पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार
दिनांक 13.5.24 को पेश हो।

13/5/24

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी हाजिर
वकील प्रार्थी को अप्रार्थीगण की तामिल
पेशगी हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया
चुका है लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने
के बावजूद भी आज 10 बजे तक तामिल
की रसीद पेश नहीं की अतः प्रार्थी
को आदेश अवधि धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अवधि
आदेश 9 नियम 5 के तहत खारिज
किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार
होकर नम्बर से कम होकर दाखिल
दफ्तर हो।